आज़ादी का अमृत महोत्सव
DICGC Since 1961
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी (Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in
Azadi Ka Amrit Mahotsav

केंका. डीआईसीजी. आईओडी.सं.**1392**/05.20.084/2023-2024 12 अक्टूबर 2023

मुख्य कार्यकारी अधिकारी Chief Executive Officer
लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
Lucknow Urban Co-operative Bank Ltd.
190, एच.ओ. तुलसीदास मार्ग
190, H.O. TULSIDAS MARG,
लखनऊ - 226004
Lucknow - 226004

महोदय/महोदया, Sir/Madam,

Deposit Insurance Scheme, 1961-Cancellation of Registration- Lucknow Urban Co-operative Bank Ltd.
जमा बीमा योजना 1961 पंजीकरण रद्द करना - लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

कृपया 29 सितम्बर 2023 की भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी देखें जिसके द्वारा **लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड** को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के तहत जारी के लाइसेंस को 29 सितम्बर 2023 को कारोबार की समाप्ति से रद्द किया गया है। अपर सचिव एवं सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। अत: हम सूचित करते हैं कि डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 13 सी (बी) के प्रावधानों के तहत, बीमित बैंक के रूप में आपके बैंक का पंजीकरण 29 सितम्बर 2023 यानी आपके बैंक के कारोबार की समाप्ति की तारीख को रद्द कर दिया गया है।	Please refer to the Reserve Bank of India Press Release dated September 29, 2023 stating that the license of **Lucknow Urban Co-operative Bank Ltd.** to carry on banking business issued to you under Section 22 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 has been cancelled with effect from close of business on September 29, 2023. The Additional Secretary & Central Registrar of Cooperative Societies, Ministry of Cooperation, Government of India has also been requested to issue an order for winding up the bank and appoint a liquidator for the bank. We therefore, advise that under the provisions of Section 13C (b) of DICGC Act 1961, the registration of your bank as an insured bank stands cancelled with effect from September 29, 2023 i.e. the date of close of business of your bank.
2. अनुरोध है कि कृपया निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करें:	2. You are requested to kindly submit the following documents:

कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571, मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008
दूरभाष : 022-23028000 फैक्स: 022-23018165, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in
OFFICE: Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571, Mumbai Central, Mumbai-400 008
Tel: 022-23028000 Fax: 022-23018165, e-mail: dicgc@rbi.org.in
हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

क) 29 सितम्बर 2023 को पंजीकरण रद्द करने की तिथि को कट-ऑफ जमा बीमा (डीआई) विवरणी और सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र जमा करें। तदनुसार आपके बैंक को **29 सितम्बर 2023** तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।	a) Cut-off Deposit Insurance (DI) return and statutory auditor certificate as on the date of deregistration i.e. **September 29, 2023.** Your Bank will accordingly be required to pay premium up to **September 29, 2023.**
ख) बैंक को जारी किया गया पंजीकरण का मूल पत्र।	b) The original letter of registration issued to the bank.
ग) केंद्र/राज्य विधान, जिसके तहत बैंक पंजीकृत किया गया है, के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की विधिवत प्रमाणित प्रति ।	c) Duly authenticated copy of Certificate of Registration issued by the Competent Authority under the Central / State Legislation under which the bank has been registered.
3. इसके अतिरिक्त आपको सूचित किया जाता है कि आप डीआईसीजीसी को प्रीमियम जमा करना बंद कर दें, क्योंकि बीमित बैंक के रूप में आपके बैंक विपंजीकृत है।	3. You are further advised to stop remitting premium to DICGC, as your bank is de-registered as an insured bank.

(मंगेश सोरते/Mangesh Sorte)
उप महाप्रबंधक/Deputy General Manager